छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

शिकायत/अपील प्रकरण क्रमांक 705/2008

1. श्री मेहतरूराम देवांगन, — *आवेदक/अपीलार्थी*
गोदाम कीपर, नयापारा,
वार्ड नंबर—12, बेमेतरा, जिला—दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *अनावेदक/प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय प्रबंधक, सहकारी विपणन समिति,
बेमेतरा, जिला—दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 25 मई, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता/अपीलार्थी श्री मेहतरूराम देवांगन द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 30.01.2007 को जन सूचना अधिकारी/प्रबंधक, सहकारी विपणन समिति, बेमेतरा, जिला—दुर्ग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उक्त आवेदन पर उन्हें जानकारी देने से इंकार किया गया। इसके पश्चात् दिनांक 05.04.2008 को उन्होंने प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उसके बाद भी उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष यह द्वितीय अपील दिनांक 23.06.2008 को प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने लिखित तर्क भी प्रस्तुत किये। प्रकरण में प्रारंभिक आपत्ति प्रथम अपील नहीं होने के बारे में की गई थी, यद्यपि प्रथम अपील के रूप में आवेदन तो प्रस्तुत किया गया था, किन्तु अपील शुल्क अदा नहीं की गई थी, अतः न्याय हित में आयोग द्वारा द्वितीय अपील को शिकायत के रूप में परिवर्तित किया जाकर प्रकरण में आगे सुनवाई की गई। प्रकरण में दिनांक 02.12.2008 को जन सूचना अधिकारी को 15 दिवस में अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी निःशुल्क प्रदान करने के निर्देश दिये गये, क्योंकि उनके द्वारा दिनांक 15.05.2008 को अपीलार्थी को रिकार्ड ढूंढने में तीन माह का समय लगने का पत्र जारी किया था। दिनांक 06.01.2009 को बताया गया कि अधिकांश जानकारी दे दी गई है एवं कंडिका—9 की जानकारी अस्पष्ट और व्यक्तिगत होने के कारण देना आवश्यक नहीं समझा गया, किन्तु बिन्दु क्रमांक—4 से 7 तक की जानकारी नहीं देना पाया गया, अतः विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के लिए जन सूचना अधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 06.03.2009 को प्रस्तुत किया गया और उस पर उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र के उत्तर में पिता की गंभीर अस्वस्थता का कारण बताया गया था और उनकी अनुपस्थिति में प्रभारी प्रबंधक श्री संजय ठाकुर को काम देखना बताया गया।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

प्रकरण में लिखित तर्क में प्रति अपीलार्थी की ओर से अपीलार्थी श्री मेहतरूराम देवांगन को समिति में कर्मचारी होना और उनके विरूद्ध शिकायतों पर कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया है। लिखित तर्क में उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि उक्त अधिनियम उन पर लागू नहीं होता, किन्तु जब एक बार आंशिक जानकारी दी जा चुकी है तो अब वे इस तर्क का सहारा नहीं ले सकते हैं, चूंकि उन पर शासन का नियंत्रण है, अतः यह तर्क मान्य योग्य नहीं है। अपीलार्थी ने अपने तर्क में उनकी विधि विपरीत सेवा–मुक्ति का हवाला देकर और उनके एवं समिति के बीच न्यायालय में वाद लंबित होने और न्यायालय के स्थगन के बाद भी मासिक वेतन नहीं मिलने की बात का तर्क रखा है और इस आधार पर उसे परेशान करने का तर्क भी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि पूर्व में अपूर्ण जानकारी दी गई है और अभी–तक काफी जानकारी नहीं दी गई है, भले ही अपीलार्थी का कैसा भी रिकार्ड रहा हो, किन्तु यदि कोई सूचना मॉगता है तो अधिनियम के प्रावधनों के अनुसार उसे सूचना दी जाना चाहिए। इस संबंध में प्रति अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उत्तर पूर्णतः संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जानकारी देने में बहुत अधिक विलंब हुआ है और पिता की अस्वस्थता के कारण इतने लंबे समय तक जानकारी नहीं देना कोई संतोषप्रद कारण नहीं कहा जा सकता। अतः उपरोक्त स्थिति में अपूर्ण जानकारी एवं विलंब के लिए प्रति अपीलार्थी को दोषी पाया जाता है और अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत प्रबंधक, सहकारी समिति, बेमेतरा, जिला–दुर्ग पर राशि दो हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। साथ ही अब प्रकरण में प्रबंधक को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि शेष बची हुई जानकारी का एक सप्ताह में शिकातकर्ता/अपीलार्थी को निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे तथा उसके बाद चूंकि जानकारी अत्यंत विस्तृत है, अतः उनसे सूची प्राप्त कर राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे तथा उससे अधिक की चाहने पर निर्धारित शुल्क लेकर दी जावे। प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण शिकातकर्ता/अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत सहकारी समिति की ओर से राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में शिकायतकर्ता/अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त शिकायत/अपील का निराकरण किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com